

न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर

पीठासीन अधिकारी- श्री राजपाल यादव (आर.ए.एस)

दावा संख्या 74/2014

पन्नेसिंह बनाम नाथूसिंह

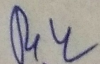
बाबत कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये जाने अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी

आदेश

दिनांक -

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 नाथू सिंह की मृत्यु होने के कारण उसके वारिसानको रिकार्ड पर लेने का आवेदन दिनांक 24.2.2015 को पेश कर उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया। जवाब आवेदन में वकील प्रतिवादी ने तथ्य अंकित किये कि आवेदन में मृत्यु की दिनांक अंकित नहीं की गई है। नाथू सिंह का स्वर्गवास दिनांक 22.11.2014 को हो गया था जिसकी जानकारी वादी को प्रारम्भ से ही थी। आवेदन मियाद बाहर पेश किया गया है जिसके कारण दावा अबेट हो चुका है इसलिए वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना विधि द्वारा वर्जित होने के कारण आवेदन मय खर्चा खारिज फरमया जावे। कायम मुकाम आवेदन प्रस्तुत करने की मियाद 90 दिवस है परन्तु वादीगण द्वारा आवेदन 94 दिवस पश्चात प्रस्तुत किया गया है। ना ही आवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। समयावधि में आवेदन प्रस्तुत नहीं करने का कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई जो मुताबिक आवेदन एवं जवाब आवेदन रही। बहस के दौरान आवेदनकर्ता के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि मात्र 4 दिन का विलम्ब हुआ है जिसे इग्नोर किया जावे। नाथूसिंह के लड़के पूर्व से पक्षकार हैं केवल लड़कियों को पक्षकार बनाना है। प्रतिवादी के वकील ने मृत्यु की जानकारी नहीं दी। आदेश 22 नियम 10 ए में प्रतिवादी को भी बताना होता है कि उसका क्लार्इण्ट मृत हो गया है। रिपीटल में वकील प्रतिवादी ने बताया कि आदेश 22 नियम 10 ए सीपीसी का नियम तभी लागू होता है जबकि प्रतिवादी की मृत्यु की जानकारी वादी को नहीं हो। जबकि उक्त प्रकरण में मृतक वादीगण का पिता है। देरी के लिये 22(4) के साथ 22(9) का आवेदन मय धारा 5 लगाना चाहिये था। 22 (9) का कोई आवेदन नहीं है इसलिये 22(4) पर कोई विचार नहीं हो सकता है। सहायता मृतक से ही चाही है अतः दावा स्वतः ही अबेट हो जाता है। पुनः रिपीटल में वकील वादी ने तर्क दिया कि एक से अधिक पक्षकार है अतः दावा अबेट नहीं हो सकता है। ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है अतः 4 दिन का डिले स्वीकार योग्य है। आवेदन स्वीकार किया जावे।

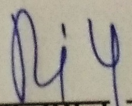

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

हमने आवेदन, जवाब आवेदन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रतिवादी संख्या 1 नाथू सिंह के कायम मुकाम आवेदन में वादी द्वारा मृत्यु की दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन पत्रावली में संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र की पृति से स्पष्ट है कि नाथूसिंह की मृत्यु दिनांक 22.11.2014 को हुई थी। आवेदनकर्ता का कथन है कि ग्रामीण परिवेश के होने के कारण 4 दिन की देरी को माफ किया जावे। प्रस्तुत दावा में वादीगण ने अपने पिता की भूमि के बाबत ही सहायता चाही है। प्रतिवादी संख्या 1 नाथू सिंह वादी का पिता है उसकी मृत्यु की सूचना 94 दिन के बाद देने का कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्रामीण परिवेश के होने के कारण 4 दिन की देरी को माफ किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है।

आज्ञा

अतः आवेदन कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 1 नाथूसिंह समयावधि से बाहर होने के कारण अस्वीकार किया जाकर दावा अबेट हो जाने कारण दावा खारिज किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन पर भी यही आदेश लागू होगा।

आदेश आज दिनांक 7-11-19 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।


(राजपाल यादव)
सहायक कलेक्टर (डि.प्र.) सीकर